बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री अजय कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, नौबतपुर, पटना के पदस्थापन काल में श्री महेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेन्द्र पसाद सिंह, ग्राम–अजवाँ, नौबतपुर, पटना द्वारा निगरानी विभाग को दिनांक–17.06.2015 को इस आशय का परिवाद पत्र दिया गया था कि उनके विरूद्ध नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत नोटिस में छः श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कराये जाने और श्रमिकों को अपने घर पर काम कराकर पैसा नहीं दिये जाने की बात अंकित था साथ ही मामले में जल्दी से जल्दी 6(छः) श्रमिक को मैनेज कर लिये जाने की बात भी कही गयी थी। इस परिवाद में यह भी अंकित था कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वे जेल में चले जायेगें। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह से रू0, 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) रिश्वत की मांग की गयी थी।

निगरानी विभाग द्वारा परिवादी के इस परिवाद पत्र के सत्यापन के पश्चात दिनांक–26.06.2015 को निगरानी धावादल का गठन किया गया और निगरानी धावादल द्वारा आपको परिवादी श्री महेश कुमार सिंह से रू0, 13,000/–(तेरह हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया तथा गिरफ्तार कर निगरानी थाना में निगरानी थाना काण्ड संख्या– 050/15 दिनांक–26.06.15 दायर करते हुए आपको प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया तथा कारावास भेज दिया गया।

कारावास में भेज दिये जाने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–iv के नियम–9 (2) (क) में किये गये प्रावधान के तहत गिरफ्तारी की तिथि–26.06.2015 से आदेश ज्ञापांक–1973 दिनांक–09.07.2015 द्वारा आपको निलंबित किया गया। उक्त प्रसंग में श्री कुमार द्वारा दायर स्पेशल विजिलेंश केस संख्या–31/2015 में दिनांक–03.07.2015 को पारित आदेश में जमानत पर कारावास से रिहा होने के पश्चात दिनांक–06.07.2015 को श्रम संसाधन विभाग में योगदान समर्पित किया गया। उक्त संदर्भ में समर्पित योगदन दिनांक–06.07.2015 से स्वीकृत करते हुए आदेश संख्या–2203 दिनांक–24.07.2015 द्वारा आपको निलंबन से मुक्त किया गया। संदर्भित मामले में आपके विरूद्ध प्रशासनिक प्राधिकार के स्तर पर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए आदेश ज्ञापांक–2204 दिनांक–24.07.2015 द्वारा पुनः निलंबित किया गया आपके विरूद्ध विधिवत आरोपपत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए निम्न आरोपों के संदर्भ में आदेश ज्ञापांक–2647 दिनांक–25.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः–

1. श्री महेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेद्र प्रसाद सिंह, ग्राम–अजवाँ, नौबतपुर, पटना से रूपये, 13,000/–(तेरह हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–26.06.2015 को रंगेहाथ पकड़ा जाना।
2. निजी स्वार्थ में अपने सरकारी पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट आचरण किया जाना।
3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना।
4. भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में स्थापित धाराओं का उल्लंघन किया जाना।
5. सरकारी कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में स्थापित नियमों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।

संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रणवीर रंजन, श्रम अधीक्षक, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना के पत्रांक–एस0आर0–050/2015 निग0 पत्रांक–1938 दिनांक–30.10.15 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति की मांग के आलोक में आदेश ज्ञापांक–3617 दिनांक–23.11.2015 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा संदर्भित मामले में माननीय विशेष न्यायालय निगरानी–01, पटना के न्यायालय में आरोप पत्र भी दायर है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में सुनवाई का कार्य सम्पन्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के दौरान समर्पित लिखित बचाव–बयान तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मन्तव्य के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–456 दिनांक–21.04.2016 द्वारा प्रशासनिक प्राधिकार को अधिगम(जाँच प्रतिवेदन) समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोपित पदाधिकारी को आरोप संख्या–01 के संदर्भ में संदेह का लाभ दिलाये जाने की बात तथा मामला नयायालय में विचाराधीन है की बात अंकित करते हुए अन्य सभी आरोप(02 से 05 तक) जो आरोप संख्या–01 से ही उद्भूत हैं को भी अप्रमाणित बताया गया है।

ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी के अधिगम से असहमत होते हुए पत्रांक–2285 दिनांक–25.05.2016 द्वारा परिवाद कर्त्ता श्री महेश कुमार सिंह एवं परिवाद के सत्यापन पदाधिकारी, श्री भीम सिंह, ए0एस0आई0, निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो) से प्रतिपरीक्षण कराकर/जांच पूरी कर अधिगम समर्पित करने का निदेश संचालन पदाधिकारी को दिया गया।

इसके आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–772 दिनांक–01.08.2016 द्वारा प्रशासनिक प्राधिकार को अधिगम समर्पित किया गया। समर्पित अधिगम में पुनः परिवादी श्री सिंह एवं परिवाद के सत्यापन पदाधिकारी, श्री भीम सिंह, ए0एस0आई0 से प्रतिपरिक्षण कराये बिना ही पूर्व के जांच प्रतिवेदन के दुहराते हुए अधिगम समर्पित किया गया। इनके अधिगम से असहमत होते हुए मामले से संबंधित सभी पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सभी को दिनांक–16.09.2016 को अवसर दिया गया। उक्त तिथि को संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने के कारण प्रशासनिक प्राधिकार को संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। फलतः संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम की समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है और मात्र आरोपित पदाधिकारी के कथन पर ही परिवादी एवं परिवादी के सत्यापन पदाधिकारी का प्रतिपरीक्षण कराये बिना ही अधिगम समर्पित कर दिया गया है। यहाँ तक कि उपस्थापन पदाधिकारी को भी नहीं सुना गया। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने लिखित आवेदन देते हुए संचालन पदाधिकारी पर ही गंभीर आरोप लगाया है कि संचालन पदाधिकारी जानबुझ कर एकतरफा सुनवाई करने के लिए जब स्वयं कार्यालय में नहीं होते थे वैसी तिथि रख कर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को अनुपस्थित दिखाकर उनका पक्ष सुना नहीं गया। उपरोक्त आलोक में Manual of Departmental proceeding के पारा–32 में अनुशासनिक प्राधिकार को मामले को Remite back करने की शक्ति के आलोक में संबंधित मामले को पत्रांक–5077 दिनांक–02.12.2016 द्वारा इस निदेश के साथ संचालन पदाधिकारी को वापस किया गया कि सभी पक्षों को नियमानुसार सुनकर ही अधिगम समर्पित करें। पूर्व में संचालन पदाधिकारी द्वारा ऐसी कारवाई नहीं करने का उल्लेख करते हुए पत्रांक–5078 दिनांक–02.12.2016 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण भी किया गया।

विभागीय कार्यवाही में परिवादी श्री महेश कुमार सिंह एवं परिवाद कर्ता के सत्यापन पदाधिकारी, श्री भीम सिंह, ए0एस0आई0 तथा निगरानी अन्वेषण बयूरो के अन्य किसी पदाधिकारी के उपस्थित नहीं हो पाने/इनका प्रतिपरिक्षण नहीं कराये जाने तथा पूर्व संचालन पदाधिकारी के अन्यत्र स्थान्तरित हो जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या–730 दिनांक–01.03.17 द्वारा मो0 अकबर जाबेद, सहायक श्रमायुक्त, पटना को संचालन पदाधिकरी नियुक्त किया गया तथा उन्हें जाँच का कार्य पूरा कर अधिगम समर्पित करने का निदेश दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न तिथियों में सुनवाई का कार्य सम्पन्न करते हुए पत्रांक–1286 दिनांक–02.06.2017 द्वारा प्रशासनिक प्राधिकार को अधिगम(जाँच प्रतिवेदन) समर्पित किया गया। समर्पित अधिगम में दिनांक–12.04.2017 को श्री विरेन्द्र नारायण सिंह, पुलिस निरीक्षक–सह–अनुसंधान पदाधिकारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप के सत्यापन (यथा–श्री महेश कुमार सिंह से रू0, 13,000/– रिश्वत् लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने) तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी आरोप के सत्यापन के पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में प्रमाणित बताया गया है। प्रशासनिक स्तर पर समर्पित अधिगम की समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जो भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 में स्थापित धाराओं का उल्लंघन है/निजी स्वार्थ में सरकारी पद का दुरूपयोग है तथा साथ ही आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में लोक सेवक के लिए निर्धारित प्रावधान के तहत विपरित कार्रवाई है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–V के नियम–14 (XI) में निहित प्रावधान के तहत आरोपों की गंभीरता के आलोक में आपके विरूद्ध वृहत दंड शासित किय जाने के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग– VI के नियम–17 एवं 18 में किये गये प्रावधान के तहत (नैसर्गिक न्याय के तहत) आपके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के संबंध में आपको अपना पक्ष रखने हेतु पत्रांक–3172 दिनांक–07.06.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। निर्गत द्वितीय कारणपृच्छा के साथ पूर्व संचालन पदाधिकारियों द्वारा समर्पित अधिगम एवं संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1286 दिनांक–02.06.2017 द्वारा समर्पित अधिगम की छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा पर स्पष्टीकरण दिये जाने का आपको निदेश दिया गया था। निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा का तामिला भी आपको करा दिया गया था, परंतु निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। मात्र दिनांक–22.06.2017 को संचालन पदाधिकारी को इस आशय का अभ्यावेदन दिया गया कि श्री वीरेन्द्र नारायण सिंह, आरक्षी निरीक्षक–सह–अनुसंधान पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के साक्ष्य की प्रति नहीं दी गयी है।

प्रासंगिक होगा कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिनांक–12.04.2017 को इस मामले के अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरोपी को दिनांक–26.06.2015 को परिवादी से रू0, 13,000/(तेरह हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने की बात सत्य है। इसके समर्थन में मामले से संबंधित दस्तावेज यथा FIR की छायाप्रति/प्री ट्रैप एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरण्डम एवं दायर आरोपपत्र की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी जो आपको प्रेषित भी है। आरोप संख्या–01 क प्रमाणित का सर्मथन प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वार भी किया गया। इस प्रकार आपके ऊपरगठित आरोप प्रमाणित होते हैं जो सरकारी सेवक के लिए उचित नहीं है और साथ ही यह एक आपराधिक कृत है।

प्रमाणित आरोप जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में स्थापित नियमों के विरूद्ध कार्रवाई है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में स्थापित नियमों के विपरित कार्रवाई है तथा लोक सेवक से जुड़े कार्यों को खुले तौर पर उल्लंघन है और पद का दुरूपयोग भी है। अतएव प्रशासनिक प्राधिकार संतुष्ट हैं कि ऐसे लोक सेवक को आगे सेवा में रखा जाना उचित नहीं है।

अतएव बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–v के नियम–14(xi) किये गये प्रावधान के तहत श्री अजय कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, नौबतपुर, पटना, वरीयता क्रमांक–72, जन्म तिथि–01.07.1957, नियुक्ति तिथि–17.08.1983 तथा जिनका गृह जिला–भोजपुर है को सरकारी सेवा से बर्खास्त (DISSMISSED) किया जाता है।

श्री कुमार को उनके निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। श्री कुमार को उनके भविष्य निधि तथा ग्रूप बीमा योजना अंतर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–68/15 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–68/15 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक एवं सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–68/15 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री अजय कुमार, तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, नौबतपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
द्वारा– श्रम अधीक्षक, पटना

पत्राचार का पताः–

श्री अजय कुमार,
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी,
पिता–स्व0 वृजनन्दन प्रसाद,
मो0–मीरगंज, आरा, नगर थाना, आरा,
जिला–भोजपुर(आरा)।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।